न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/869 दिनांक 29/9/25

श्री रतन सिंह
निवासी गणेश कॉलोनी,
सेवर रोड, वार्ड नं 7, भरतपुर
मो न0 8619730399

विषयः—अपील संख्या 54/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री रतन सिंह बनाम लो.सू.अधिकारी तहसीलदार बयाना** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से,
रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम
अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर
रतन सिंह बनाम **लो.सू.अधि. तहसीलदार बयाना**
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 54 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रतन सिंह निवासी गणेश कॉलोनी, सेवर रोड, वार्ड नं 7, भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060726648880626 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार बयाना** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार बयाना** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	769 5/9/25 53 5 दी
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होबाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 54 / 2025

रतन सिंह निवासी गणेश कॉलोनी, सेवर रोड, वार्ड नं. 7 भरतपुर ......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना ....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.09.2025**

रतन सिंह निवासी गणेश कॉलोनी, सेवर रोड, वार्ड नं. 7 भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060726648880626 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/ 2025/769 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1687 दिनांक 18.09.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना ने अपने जबाब पत्रांक राजस्व/2025/1687 दिनांक 18.09.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु वाईज सूचना का जबाब कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/25/1503 दिनांक 26.08.2025 से नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 54 / 2025
रतन सिंह बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 का जबाव प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार दिया गया है एवं बिन्दु सं0 3 व 4 के सन्दर्भ में लिखा गया है कि बिन्दु सं0 3 व 4 से चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 के अनुसार ''.....लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रविष्टियों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।........''

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर (राज0)

क्रमांक/राजस्व./2025/ 1687 दिनॉक 18-09-2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
भरतपुर।

विषय : अपील संख्या 54/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रतनसिंह निवासी गणेश कॉलोनी सेवर रोड वार्ड नम्बर 7 भरतपुर बनाम तहसीलदार बयाना।

संदर्भ: श्रीमान् जी का पत्रांक/कोर्ट/25/769 दिनॉक 04-09-2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रतनसिंह निवासी गणेश कॉलोनी वार्ड नम्बर 7 सेवर रोड भरतपुर द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में चाही गई सूचना बाबत रिपोर्ट में निवेदन निम्नानुसार है :-

श्रीमान् जी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक कमॉक/टीए/अपीडि/2025/3251/ भरतपुर/01/07/2025 दिनॉक 06-05-2025 द्वारा मण्डल के आदेश दिनॉक 02-05-2025 की प्रमाणित प्रति वाद संख्या 2023/7 के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा की डाक में दिनॉक 21-05-2025 में जमा कराई। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल को प्राप्त पत्रादि में प्रकरण से सम्बन्धित खसरा नम्बर, गॉव का नाम, खातेदार का नाम अंकित नहीं था। ऐसी असमंजस की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित पटवारी हल्का को नहीं भिजवाया जा सका। प्रकरण से सम्बन्धित पते की काफी तलाश की गई और अन्त में इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/25/747 दिनॉक 27-05-25 को मूल दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक नम्बर आरआर 491489162आईएन दिनॉक 01-07-25 को श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को वापस नाम पते के लिए भिजवा दिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को नाम पते हेतु मूल प्रकरण 01-07-25 को भिजवाने के बाद प्रार्थी द्वारा श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महोदय, बयाना को आरटीआई के तहत सूचना बाबत आवेदन किया गया। जिस पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना द्वारा दिनॉक 23-07-25 को प्रकरण कार्यालय हाजा को स्थानान्तरित किया गया जो कार्यालय हाजा में दिनॉक 23-07-25 को प्राप्त हुआ। जिस पर कार्यालय हाजा द्वारा आरटीआई से सम्बन्धित सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, बयाना को इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/25/1444 दिनॉक 11-08-25 को भिजवा दी गई तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर को प्रतिलिपि दी गई। उसके बाद श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना द्वारा कार्यालय हाजा के मूल पत्र को दिनॉक 22-08-25 को इस टिप्पणी के साथ भिजवाया गया कि सूचना सम्बन्धित आवेदक को सीधे ही भिजवाई जावे। उसके उपरान्त कार्यालय हाजा के पत्रांक/राजस्व/25/1503 दिनॉक 26-08-25 के द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना समय पर उपलब्ध करा दी गई है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त अपील को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

"आदर-सहित"।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

कार्यालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

क्रमांक/राजस्व/RTI/25/ 1503 दिनांक 26/8/25

श्री रतनसिंह पुत्र ग्राम वैधपुरा पोस्ट
गढ़ीबाजना, वर्तमान पता एम.जे.
स्कूल के पास, कोल्हु स्टोर के पीछे
गणेश नगर, सेवर रोड भरतपुर.
वार्ड नं. 7 mob. No 9610870904

विषय –: आर.टी.आई (R.T.I) एक्ट 2005 की धारा 6(1) व
6(3) के तहत सूचना चाहने बाबत.

प्रसंग –: श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (एस.डी.एम.) सा. का पत्रांक
व कलैक्टर का ऑनलाईन क्रमांक 78/24/7/25 व 9014045654
दिनाँक 23/7/25 व रेफरेन्स संख्या 06087423625 0595
क्रमांक 2325 दिनांक 23/7/25

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख
है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है।

1- दिनांक 21/5/2025 को आवेदक द्वारा दस्तावेज कार्यालय हाजा में प्रस्तुत
किया था। उसमें भूमि सम्बन्धी दस्तावेज के मामले में माननीय राजस्व मण्डल
राजस्थान अजमेर के स्टे में नाम पता व ख.नम्बर. गाँव का नाम अंकित नही
होने के कारण मूल ही श्रीमान निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को
इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/25/747 दिनांक 27/5/2025 के द्वारा नामपते
हेतु भिजवा दिया गया है।

2- प्रस्तुत दस्तावेज में ख.नं. व पता नही होने के कारण सम्बन्धित हल्का पटवारी
को नही भिजवाया जा सका। इस प्रकार जमाबन्दी में स्टे का नोट नही लगा पाया।
- राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये गये पत्र के जवाब में सम्बन्धित
ख.नं. व ग्राम का नाम प्राप्त होने पर तुरन्त स्टे का नोट लगा दिया जावेगा।

3- बिन्दु संख्या 3 व 4 बाबत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक है।
जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार
प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 2/2/2009 के बिन्दु सं. 3
में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत लोकप्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या
करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करने या काल्पनिक
प्रविष्टियों का उत्तर देना अपेक्षित नही है।

अतः आप सूचना से अवगत हो।

Regd.

प्रेषित – ग्राम नैदपुरा पो. जटी बाजना हाल
पता – हाल: ले. स्कूल के पास,
ओर श्री पाई, ओमनगर, सेवर रोड भरतपुर वार्ड नं. 7.
mobile no 9610087090[illegible]

विषय :- आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(1) व 6(3) के तहत सूचना चाहने बाबत.

प्रसंग :- श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (एस.डी.एम.) साहब का पत्रांक व कलेक्ट्रेट का online पत्रांक 78/24/7/25 व 9814845685 दि. 23/7/25 व रेफरेंस संख्या 0600742362505 95 क्रमांक 2325 दि. 24/7/25

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा उनवाली प्रकरण में हरि रतनसिंह बनाम गिर्राज माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर क्रमांक : टीए/अपील/2025/3251/भरतपुर/117/25 दिनांक 6/5/25 आगामी तारीख पेशी तक यथा स्थिति बनाये रखने हेतु रामलिस में दिया गया था। और उसमें आप द्वारा व माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि उक्त हरे किस ग्राम व पटवार मण्डल का है। ताकि उस पटवारी को भेजा जा सके। इसलिए मूल ही आपकी हरे प्रति पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड संख्या RR491489162 IN व डिस्पेच संख्या /राजस्व/25/747 दिनांक 27/5/25 द्वारा माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई गई थी।

अतः आप द्वारा जो आर.टी.आई. द्वारा सूचना माँगी गई है। उसमें आप द्वारा पूरा खसरा नम्बरों का ब्यौरा दिया गया। जबकि इनमें भी किस ग्राम के खसरा नम्बर है। यह भी नहीं दर्शाया गया। अतः आप नोट लगवाने बाबत हरे आर्डर व एक प्रार्थना पत्र जिसमें खसरा नम्बरों का ब्यौरा व किस ग्राम में है। पेश करें। ताकि पटवारी हल्का द्वारा हरे का नोट लगवाया जा सके।

संलग्न - राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी गई सूचना,

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –
क्रमांक / राजस्व / 25/504-5 दिनांक 26/8/25

1- श्रीमान लोक सूचना अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय भरतपुर.
2- श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना)

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

[illegible]
26/8/25
[illegible] SDM ऑफिस बयाना)

लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) महोदय,
बयाना (भरतपुर)

विषय :- आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(1) व 6(3) के तहत सूचना भिजवाने बाबत.

प्रसंग :- Ref. NO 060874236250595 क्रमांक 2325 दि. 23/7/25

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि जनवानी प्रकरण रतनसिंह बनाम गिर्राज निर्णय विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर निर्णय दिनांक 4/3/2025 वाद सं- 2023/7 उनवान रतनसिंह VIS गिर्राज की ऑर्डरशीट दिनांक 2/5/25 प्राप्त हुई और माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की कवरिंग पत्र के साथ दिनांक 22/5/25 को प्राप्त हुई थी। उक्त पत्र व ऑर्डरशीट में न तो ख० नं० व ग्राम, पटवार मण्डल कुछ भी अंकित नहीं था। कॉरनेट प्रार्थी द्वारा कपन्न प्रार्थना पत्र लगाकर दिया गया कि उस प्रार्थना पत्र में अपना नाम व पता, ख० नं० इत्यादि हो। मात्र राजस्व मण्डल का मोहर दिया गया था। अपूर्ण होने के कारण पोस्ट ऑफिस की रसीद संख्या RR491489162IN व डिस्पेच NO/राजस्व/251747 दिनांक 27/5/25 रजि. डाक द्वारा माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर को मूल ही पत्र के साथ वापिस भिजवा दी गई थी।

संलग्न उक्त पत्रांक पत्र.

अतः उक्त RTI सम्बन्धित का जवाब आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
तह. बयाना (भरतपुर)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ - दिनांक 11/8/25
क्रमांक/राजस्व/रीडर/1545
(1) श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर) को पत्रांक/राजस्व/251747 दिनांक 27/5/25 की फोटो प्रति.

तहसीलदार
तह. बयाना (भरतपुर)

Bunay
14/8/25

कार्यालय- तहसीलदार, बयाना (भरतपुर)

क्रमांक- /राजस्व/25/ 747

दिनांक.....27/5/25.....

प्रेषित :-
श्रीमान् निबन्धक महोदय
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

Recd
रो.क्री. रजीडते. RR491489162 IN
1/7/25

विषय :- उनवान रतनसिंह बनाम गिर्राज की मूल प्रमाण नकल के सम्बन्ध में.

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उनवानी प्रकरण रतनसिंह V/s गिर्राज निर्णय विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर निर्णय दिनाँक 4/3/2025 वाद संख्या 2023/7 आपका पत्रांक 5897 दिनांक 6/5/25 के सम्बन्ध में प्रमाणित आर्डर की नकल प्राप्त हुई। जिसमें विवादित भूमि की यथा स्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने के आदेश है तथा आगामी तारीख पेशी 1/7/2025 नियत है।

अतः माननीय निबन्धक महोदय से निवेदन है उक्त उनवानी प्रकरण में पटवार मण्डल व ग्राम, खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण पटवारी हल्का तक भिजवाया जाना असम्भव है। मूल ही मूलप्रति हेतु वापिस लौटाई जा रही है।

संलग्न मूल पत्र व आर्डरशीट नकल.

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) महोदय,
बयाना (भरतपुर)

विषय :- आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(1) व 6(3) के तहत सूचना भिजवाने बाबत,

प्रसंग :- Ref. NO 06087423625 0595 क्रमांक 2325 दि. 23/7/25

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि दीवानी प्रकरण रतनसिंह बनाम गिरिज निर्णय विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर निर्णय दिनांक 4/3/2025 वाद सं. 2023/7 उनवान रतनसिंह VS गिरिज की ऑर्डरशीट दिनांक 2/5/25 प्राप्त हुई। और माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की कवरिंग पत्र के साथ दिनांक 24/5/25 को प्राप्त हुई थी। उक्त पत्र व ऑर्डरशीट में न तो ख. नं. व ग्राम, पटवार मण्डल कुछ भी अंकित नही था। और नही प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र लगाकर दिया गया कि उस प्रार्थना पत्र में अपना नाम व पता, ख.नं. इत्यादि हो। मात्र राजस्व मण्डल का आदेश दिया गया था। अपूर्ण होने के कारण पोस्ट ऑफिस की रसीद संख्या RR491489162IN व डिस्पेच NO/राकाना/25/747 दिनांक 27/5/25 रजिस्टर्ड डाक द्वारा माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर को मूल ही पत्र के साथ वापिस भिजवा दी गई थी।

संलग्न उक्त पत्रांक पत्र। अतः उक्त RTI सम्बन्धित का जवाब आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ –
(1) श्रीमान लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर महोदय भरतपुर) को पत्रांक / क्रमांक/राकाना/25/ दिनांक
राकाना/25/747 दिनांक 27/5/25 की फोटोप्रति।

sd
तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)